भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2369

उत्तर देने की तारीख : 05.03.2020

एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता

2369. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्रीमती गीताबेन वी. राठवाः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) : क्या सरकार को जानकारी है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता घट रही है और देश में इस संबंध में आंतरिक क्षमता का अभाव है;
(ख) : यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) : सरकार द्वारा इसके अंतर्गत उद्योगों के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिर मूल्य (2011-12) पर एमएसएमई का सकल मूल्य वर्धन और विकास दर निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल एमएसएमई जीवीए (करोड़ रुपए में)	एमएसएमई की विकास दर (प्रतिशत में)
2015-16	3489112	9.8
2016-17	3770652	8.1
2017-18	4090445	8.5

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 18 सितम्बर, 2015 को एमएसएमई के लिए स्व-प्रमाणन आधारित ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल, उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम), शुरू किया गया था। दिनांक 26.02.2020 तक की स्थिति के अनुसार शुरूआत से लेकर अब तक यूएएम के तहत 88.32 लाख से अधिक इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी है।

*****